विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-1220
परिशिष्ट - "अ"

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक / 1444 / 26–2 / 2015 भोपाल दिनांक 28 / 10 / 2015

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / जनपद पंचायत मध्य प्रदेश
3. समस्त संयुक्त संचालक / उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्य प्रदेश
4. समस्त आयुक्त, नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद् , मध्यप्रदेश

विषयः– खरीफ 2015–16 अंतर्गत सूखा से प्रभावित किसानों के परिवारो में मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के संबंध में शिथिलता बाव्त।

संदर्भः– म0प्र0 शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण का पत्र एफ 3–4 / 26–2 / 2012 / पार्टनस्ती दिनांक 28 फरवरी 2014

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन कीजिए। मध्यप्रदेश शासन द्वारा खरीफ 2015–16 अंर्तगत सूखे से प्रभावित किसानों की कन्याओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदण्ड 6.1 एवं 6.2 को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित निर्देश निम्नानुसार हैं :–

1. खरीफ 2015–16 अंतर्गत सूखा से प्रभावित ऐसे किसान जिनके RBC-6 (4) के अंतर्गत प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं, के परिवार में कन्या के विवाह किये जाने में निम्नानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी, जिसमें सामूहिक विवाह का बंधन नहीं होगा ।

   1.1 कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु रु0 12,000 / –
   1.2 विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु रु0 3,000 / –
   1.3 कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए 5 वर्ष तक के लिए रु0 10,000 / – की सावधि जमा ।

2. उक्त सहायता रु0 12,000 / – की एवं रु0 3,000 / – (कुल रुपये 15,000 / –) की सहायता कन्या पिता / माता / अभिभावक को उनके बैंक खाते के माध्यम से की जावेगी।

28/10/15

3. उपरोक्त सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन कर प्रकरण स्वीकृति हेतु संबंधित पदाविहित अधिकारी के कार्यालय में भेजा जावेगा। पदाविहित अधिकारी ऐसे आवेदनों मे कन्या की पात्रता के मापदण्ड एवं कन्या के विवाह होने की पुष्टि उपरांत विवाह के अधिकतम 5 दिवस पूर्व अग्रिम के रुप में राशि कन्या पिता/माता/अभिभावक द्वारा दिये गये बैंक खाते में स्वीकृत कर हस्तांतरित की जायेगी, तथा विवाह के उपरांत 1 सप्ताह के भीतर कन्या के पिता एवं कन्या द्वारा उपयोग की गई राशि, विवाह की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र (विवाह के फोटो सहित) एक पंचनामा के साथ पदाविहित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

4. उक्त के अतिरिक्त मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के पात्रता के अन्य मापदण्ड यथावत रहेंगे ।

5. जिन कन्या/अभिभावक को एकल विवाह हेतु विवाह सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है । यदि उनके द्वारा दी गई समयसीमा के भीतर राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं विवाह संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने पर आवेदक को जिस बैंक खाते के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई है, उस बैंक खाते में अन्य जमा राशि से उपलब्ध कराई गई सहायता वापस प्राप्त कराई जावे । खाते में राशि न होने की स्थिति में विधिक प्रक्रिया से दी गई राशि वसूल की जाये ।

6. सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिथिल किये गये यह निर्देश दिनांक 31 मार्च 2016 तक जिन कन्याओं का विवाह होना है, के लिए लागू होंगे ।

28/10/2015

(मनोहर अगनानी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण मध्यप्रदेश

पृष्ठां0 क्रमांक / 1445 / 26—2 / 2015 भोपाल दिनांक 28 / 10 / 2015

प्रतिलिपिः—

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त,सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग भोपाल ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. उपसचिव,मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एंव निःशक्तजन कल्याण म0प्र0

28/10/2015

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
मध्यप्रदेश